

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग  
"व्यवस्थापन 'घ' वर्ग" उत्तराखण्ड देहरादून



OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND

Website-http://pwd.uk.gov.in

E-Mail-cepwduk@gmail.com

पत्रांक 913/24 व्यघ-सा0/2016

दिनांक:- 15/10/2019

"कार्यालय ज्ञाप"

इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 555/24 व्यघ-सामान्य/2019 दिनांक 28.06.2019 द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की अनन्तिम ज्येष्ठता सूची भाग-2 (क्रमांक 82 से 159 तक) परिचारित करते हुये सूचीबद्ध कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) से अपेक्षा की गयी थी कि यदि किसी कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) को अपनी ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो वे अपना प्रत्यावेदन अनन्तिम ज्येष्ठता सूची दिनांक 28.06.2019 के जारी होने की तिथि से 15 दिन के भीतर उचित माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध करा दें।

उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 28.06.2019 से प्रख्यापित अनन्तिम ज्येष्ठता सूची हेतु प्राप्त आपत्तियों/प्रत्यावेदनों का निस्तारण कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने हेतु इस कार्यालय के ज्ञाप संख्या 713/24 व्यघ-सामान्य/2019 दिनांक 05.08.2019 द्वारा 04 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों के निराकरण एवं अन्तिम ज्येष्ठता सूची बनाये जाने हेतु दिनांक 12.09.2019 को बैठक आहूत की गयी, जिसमें समिति द्वारा प्राप्त आपत्तियों का सम्यक् परीक्षणोपरान्त बैठक का कार्यवृत्त संख्या 841/24 व्यघ-सामान्य/2016 दिनांक 19.09.2019 के माध्यम से आपत्तियों का निम्नवत् निस्तारण कर अन्तिम ज्येष्ठता सूची जारी करने की संस्तुति की गयी है :-

(1) श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, नैनीताल से प्राप्त आपत्ति :- अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम श्री नरनाम प्रकाशित हुआ है, से अवगत कराते हुये पिता का नाम श्री नर राम अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की संस्तुति :- इस कार्यालय में उपलब्ध सेवा अभिलेख के अनुसार श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा की गयी आपत्ति उचित पायी गयी है। अतः कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की ज्येष्ठता सूची में श्री राजेन्द्र प्रसाद, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पिता का नाम श्री नर राम अंकित कर लिया गया है।

(2) श्री होरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), 12 वॉ वृत्, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी से प्राप्त आपत्ति :- अनन्तिम ज्येष्ठता सूची में पिता का नाम सोनू लाल प्रकाशित हुआ है, से अवगत कराते हुये पिता का नाम स्व० श्री सौगुलाल अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की संस्तुति :- इस कार्यालय में उपलब्ध सेवा अभिलेख के अनुसार श्री होरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा की गयी आपत्ति उचित पायी गयी है। श्री होरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) द्वारा अपने पिता का नाम श्री सौगुलाल अंकित किये जाने का अनुरोध किया गया है जबकि कार्यालय अभिलेखों में इनके पिता का नाम स्व० श्री सोहन लाल उर्फ सौगु अंकित है। अतः श्री होरी लाल, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पिता का नाम ज्येष्ठता सूची में स्व० श्री सोहन लाल उर्फ सौगु अंकित कर लिया गया है।

(3) श्रीमती संगीता धानिक, कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक), अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग से प्राप्त आपत्ति :- प्रख्यापित सूची के क्रमांक- 84 एवं लोक सेवा आयोग का क्रमांक-03 में अंकित कनिष्ठ अभियन्ता श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भाष्कर प्रसाद का चयन लोक सेवा आयोग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल के निर्णय के अधीन वर्ष 2013 में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) हेतु होने तथा श्री राकेश कुमार को इस कार्यालय के पत्रांक- 723/28 व्यघ-सा0/13 दिनांक 01.08.2013 द्वारा क्रमांक- 23 में अंकित करते हुए कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) पद पर निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, ऊखीमठ में नियुक्ति प्रदान किये जाने से अवगत कराते हुये उक्त कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भाष्कर प्रसाद को कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) की ज्येष्ठता सूची में न लेते हुए स्वयं की ज्येष्ठता संशोधित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

आपत्तियों के निराकरण हेतु गठित समिति की संस्तुति :- कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्रांक 1661/04/ई-2/2005-06 दिनांक 26.09.2011 द्वारा श्री राकेश कुमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) हेतु किया गया था, जिसके क्रम में विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1459/28 व्यघ-सामान्य/2011 दिनांक 08.10.2011 द्वारा श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भाष्कर प्रसाद की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद पर की गयी। पुनः लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड, हरिद्वार के पत्रांक 106/12/ई-2/(जे०ई०)/2011-12 दिनांक 24.07.2013 द्वारा श्री राकेश कुमार का चयन कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर होने के फलस्वरूप विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 723/28 व्यघ-सामान्य/2013 दिनांक 01.08.2013 द्वारा श्री राकेश कुमार पुत्र श्री भाष्कर प्रसाद की नियुक्ति कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर की गयी, परन्तु उनके द्वारा कनिष्ठ अभियन्ता (प्राविधिक) के पद से न तो त्याग-पत्र दिया गया और न ही कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के पद पर योगदान किया गया।

IT (real)

Pl. upload

16.10.19

कमल सिंह ने

विभागीय अभियन्ता

hml

